भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1076

दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एफडीएसआई की पहलें

1076: श्री विवेक ठाकुरः

श्री सतीश चंद्र दूबेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की निःशुल्क निदान सेवा पहलों (एफडीएसआई) और इसके मुख्य उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) एफडीएसआई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के प्रसार का ब्यौरा क्या है जिनमें समय-सीमा और आवश्यक दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-2023 के दौरान अनुमोदन प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख) : निःशुल्क निदान सेवा पहल (एफडीएसआई) जुलाई, 2015 में शुरू की गई थी ताकि समुदाय के निकट सुलभ और वहनीय पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिससे आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) में कमी आ सके। इसमें निःशुल्क प्रयोगशाला सेवाएं, निःशुल्क टेली रेडियोलॉजी सेवाएं और निःशुल्क सीटी स्कैन सेवाएं शामिल हैं। एफडीएसआई का उद्देश्य जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक नैदानिक सूची के अनुसार आवश्यक नैदानिक परीक्षणों का एक न्यूनतम सेट निशुल्क नैदानिक सेवाएं प्रदान करना है जैसे उप केंद्रों (एससी) पर 14 परीक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर 63 परीक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर 97 परीक्षण, उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच) पर 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों (डीएच) पर 134 परीक्षण।

परिचालन संबधी दिशानिर्देश और मॉडल निविदा दस्तावेज जुलाई 2015 में राज्यों के साथ साझा किए गए थे। इसके विस्तृत दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: -

https://nhm.gov.in/images/pdf/NHM/NHM-Guidelines/Free_Essential_Diagnostics.pdf

इसके बाद, वर्ष 2019 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रयोगशाला सेवाओं को लागू करने के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज लॉन्च किया। इन दिशा-निर्देशों को वर्ष 2019 में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किया गया था। यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: -

https://nhm.gov.in/New_Updates_2018/NHM_Components/Health_System_Stregthening/Comprehensive_primary_health_care/letter/Guidance_document_for_Free_Laboratory_Services.pdf

(ग) : वित्त वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत **निशुल्क निदान सेवा पहल** के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी अनुमोदन का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया हैं।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान एनएचएम के तहत राष्ट्रीय नि:शुल्क निदान सेवाओं के लिए एसपीआईपी अनुमोदन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा			
			(लाख रुपये में)
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1678.35	10,368.97
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1,489.25
4	असम	7662.41	9,136.37
5	बिहार	0.00	17,566.93
6	चंडीगढ़	32.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	1154.00	3,180.00
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00
10	गोवा	0.00	0.00
11	गुजरात	2317.13	32.50
12	हरियाणा	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	2516.35	2,000.00
14	जम्मू और कश्मीर	1639.59	2,364.66
15	झारखंड	600.00	0.00
16	कर्नाटक	8386.69	11,989.39
17	केरल	2873.32	1,813.12
18	लद्दाख	63.00	87.88
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	8550.00	15,707.32
21	महाराष्ट्र	15055.23	18,071.71
22	मणिपुर	875.00	1,050.00
23	मेघालय	732.75	0.00
24	मिजोरम	26.55	1,273.00
25	नागालैंड	169.36	163.00
26	ओडिशा	7574.07	5,022.08
27	पुडुचेरी	8.00	7.63
28	पंजाब	2056.00	1,200.00
29	राजस्थान	10961.41	21,621.09
30	सिक्किम	65.99	72.59
31	तमिलनाडु	13310.30	11,208.84
32	तेलंगाना	4349.50	476.04
33	त्रिपुरा	1319.64	1,643.00
34	उत्तर प्रदेश	42336.82	31,934.19
35	उत्तराखंड	542.00	2,235.00
36	पश्चिम बंगाल	11921.18	25,743.00

नोट: एसपीआईपी अनुमोदन राज्यों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार हैं।

*****